संख्या:165/2019/481/35-4-2019

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:21 फरवरी,2019

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रू.5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आगरा की विधान सभा क्षेत्र-फतेहाबाद एवं आगरा ग्रामीण से संबंधित कार्यो हेतु रू. 999.58 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 999.58 (रूपये नौ करोड़ निन्यानवे लाख अट्ठावन हजार मात्र), की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रू.में)

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	**कार्य का नाम**	**लम्बाई (किमी)**	**लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
1	फतेहाबाद	चितौरा मार्ग से कोठीहौद तक सी0 सी0 कार्य	0.600	47.32	47.32
2	फतेहाबाद	रिहावली मार्ग से घाट वाली सिलावती तक सी0 सी0 कार्य	0.400	31.81	31.81
3	फतेहाबाद	गढ़ी कूमरा से ग्राम लालपुरा तक सी0सी0 कार्य	0.400	35.81	35.81
4	फतेहाबाद	शमसाबाद चन्दोरा मार्ग से रूप सिंह की म□इया तक सी0 सी0 कार्य	0.250	22.53	22.53
5	फतेहाबाद	फिरोजाबाद मार्ग से हनुमान मन्दिर से ठारपरसादी लाल तक सी0 सी0 कार्य	0.400	35.81	35.81
6	फतेहाबाद	शालूबाई मार्ग से ग्राम कछियारा तक सी0 सी0 कार्य	0.300	24.12	24.12
7	फतेहाबाद	जबाहरपुर बिहारी रोड से ग्राम ठीपुरी रोड तक सी0 सी0 कार्य	0.400	35.81	35.81
8	फतेहाबाद	ग्राम पंचायत एत्मादपुर अजनेरा के मजरा कांकनपुरा में राजू के घर से हाकिम सिंह की ठार तक सी0 सी0 कार्य	0.250	19.76	19.76
9	फतेहाबाद	थाना निबोहरा मार्ग से गुल्ल वाली माता के मन्दिर तक सी0 सी0 कार्य	0.500	39.66	39.66
10	फतेहाबाद	ग्राम पारोली सिकरवार में दुलीचन्द्र के घर के पास मन्दिर से कमलेश के घर तक सी0 सी0 कार्य	0.330	35.73	35.73
11	फतेहाबाद	भोगपुरा से रामसनेही के घर से परमाल के घर की तरफ तक सी0 सी0 कार्य	0.250	21.75	21.75
12	फतेहाबाद	ग्राम पंटौडरा में शाला ग्राम से कुर्राचित्तरपुर रोड की तरफ तक सी0 सी0 कार्य	0.300	33.94	33.94

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
13	फतेहाबाद	गढ़ी धर्मजीत में बंगाली तोमर के घर से रिर्पुदमनसिंह के घर की तरफ तक सी0 सी0 कार्य	0.110	9.06	9.060
14	फतेहाबाद	डण्डनियापुरा ग्राम में मैन मार्ग से ओमवीर के घर तरफ सी0सी0 कार्य	0.150	14.64	14.64
15	फतेहाबाद	मौ॒या मोहर दिल में धिमिश्री रोड से मुन्नालाल के घर तरफ सी0 सी0 कार्य	0.120	10.75	10.75
16	फतेहाबाद	फतेहाबाद जनता इण्टर कालेज के पास आगरा शमसाबाद रोड से मुन्नालाल शर्मा पत्रकार के घर की तरफ तक सी0 सी0 कार्य	0.100	9.97	9.97
17	फतेहाबाद	ठेरई में सुरेश के घर से तालाब के ल0 30 मी0 तक सी0 सी0 कार्य	0.130	9.82	9.82
18	फतेहाबाद	ग्राम पंचायत हिमायुपुर के प्रा0वि0 से ओमप्रकाश दिवाकर के घर तक सी0 सी0 कार्य	0.150	10.41	10.41
19	फतेहाबाद	ग्राम नगली भिक्की में मैन मार्ग से प्रा0 वि0 तक सी0 सी0 कार्य	0.100	7.71	7.71
20	फतेहाबाद	नगला सूरजभान में रनसिंह के घर मैन रोड से बिजली के जुटटा खम्भे तक सी0 सी0 कार्य	0.120	9.65	9.65
21	फतेहाबाद	ग्राम विलइपुरा में हीरालाल के मकान से रोशन लाल व भोलाराम के मकान होते हुए कुवरपाल के मकान व छदामीलाल के मकान तक सी0 सी0 कार्य	0.150	18.26	18.26
22	फतेहाबाद	ग्राम बमरोली ग्राम मे सुखराम के घर से ताराचन्द व टेकसिंह के घर तक सी0 सी0 कार्य	0.170	10.35	10.35
23	फतेहाबाद	रोहई खास रोड से हिमायुपुर रोड तक सी0 सी0 कार्य	0.050	5.20	5.20
		योग विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद	**5.73**	**499.87**	**499.87**
24	आगरा ग्रामीण	ठार पंजाबी, बरौली गूजरसुरेश के घर के मौहर सिंह के घर तक सी0सी0 व नाली कार्य	0.235	22.990	22.990
25	आगरा ग्रामीण	ग्राम धनौली जेन साहब के घर से लियाकत के मकान तक सी0सी0 कार्य	0.150	14.210	14.210
26	आगरा ग्रामीण	ग्राम धमौटा में लिंक रोड से जनक कुशवाहाके घर तक सी0सी0 कार्य	0.240	17.470	17.470
27	आगरा ग्रामीण	ग्राम लोधई में धन सिंह के दुकान से नत्थीदेवी के घर तक सी0सी0 कार्य	0.156	20.760	20.760
28	आगरा ग्रामीण	विजय मल्हेला प्राइमरी स्कूल से होते हुएथान सिंह मास्टर के घर मंत्री चौराहे तक सी0सी0 कार्य	0.250	24.000	24.000
29	आगरा ग्रामीण	देवरी रोड से गॉव तक (पचगाई खेड़ा) लिंक रोडतक सी0सी0 कार्य	0.435	56.480	56.480
30	आगरा ग्रामीण	गडी ईष्वरा मन्दिर से शमषान घाट तक सी0सी0 कार्य	0.160	11.160	11.160
31	आगरा ग्रामीण	ग्राम ककरारी परिक्रमा रोड से बाल्मीकिबस्ती होते हुए ककरारी मन्दिर से आगे सी0सी0 कार्य	0.305	33.320	33.320
32	आगरा ग्रामीण	ग्राम हकीमपुरा परिक्रमा मार्ग पर सी0सी0 कार्य व नाली कार्य	0.300	27.130	27.130
33	आगरा ग्रामीण	ग्राम सहारा धर्मेन्द्र मास्टर के प्लाट सेप्रीतम नेता के घर तक सी0सी0 कार्य	0.235	30.160	30.160
34	आगरा ग्रामीण	ग्राम रदद्ू की गड़ी में महेश के प्लाट सेलेकर लाल सिंह के घर तक	0.145	12.500	12.500

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
35	आगरा ग्रामीण	ग्राम गढी हीरिया काली चरन के घर से जयप्रकाश के प्रधान के घर तक सी0सी0 कार्य	0.300	24.830	24.830
36	आगरा ग्रामीण	ग्राम दिगनेर शनिदेव के मन्दिर से हनुमानमन्दिर तक सी0सी0 कार्य	0.250	33.220	33.220
37	आगरा ग्रामीण	ग्राम चक छः चोर नगरिया सी0ओ0डी0 रोड सेहरी सिंह दूध वाले के घर तक सी0सी0 कार्य	0.205	17.370	17.370
38	आगरा ग्रामीण	ग्राम बमरौली अहीर में राजवीर सिंह दिवाकरके घर से प्राइमरी स्कूल तक सी0सी0 कार्य	0.145	17.860	17.860
39	आगरा ग्रामीण	ग्राम मियापुर में अमरपाल के घर से राजबहादुर के घर (परिक्रमा मार्ग) तक सी0सी0 कार्य	0.280	31.310	31.310
40	आगरा ग्रामीण	ग्राम गढ़ी नवला में राम नरेश के घर सेजयंती के घर तक सी0सी0 कार्य	0.045	4.970	4.970
41	आगरा ग्रामीण	ग्राम पावन धाम फेज-2 दयाशकर फौजी के घरसे जोगिंदर सिंह के घर तक सी0सी0 कार्य	0.150	19.770	19.770
42	आगरा ग्रामीण	ग्राम बिलासगंज रूप सिंह के घर से सतीश चाहर बिजली वाले के घर तक सी0सी0 कार्य	0.135	17.080	17.080
43	आगरा ग्रामीण	ग्राम बजहेरा में पुल से होते हुए सोनपालके चौराहे तक सी0सी0 कार्य	0.200	14.690	14.690
44	आगरा ग्रामीण	ग्राम इस्लामपुर में माता के मन्दिर सेलेकर रघुवीर सिंह के मकान तक सी0सी0 व नाली कार्य	0.270	25.420	25.420
45	आगरा ग्रामीण	ग्राम बगदा में रामदास महाराज की पुलिया से अंसल टाउन की सीमा तक सी0सी0 व नाली कार्य	0.200	17.340	17.340
46	आगरा ग्रामीण	ग्राम ककुआ में राधा कृष्ण मन्दिर सेग्वालियर रोड तक सी0सी0 व नाली कार्य	0.050	5.670	5.670
		योग विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण	**4.841**	**499.71**	**499.71**
		योग जनपद आगरा	**10.571**	**999.58**	**999.58**

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उक्त कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल पर सुसंगत सूचनाओं को अंकित करते हुये नियमित रूप से प्रगति विवरण भरा जायेगा।

4- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग- 6 के अध्याय -12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

8- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

11- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती ह तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

18- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

19- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

22- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग ह। अतः स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से किया जायेगा।

23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित ग्रामीण/नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0305-लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती ह।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:165/2019/481(1)/35-4-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, आगरा।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा।
14- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, आगरा।
15- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती ह।